

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त, 2019-श्रावण 18, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शादी से पूर्व कु. रजनी गुप्ता पिता श्री रामनारायण गुप्ता, निवासी-उदयजी की पायगा, नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश था। मेरा विवाह श्री कपिल शिवहरे पिता श्री रमेशचन्द्र शिवहरे, निवासी प्लैट नं. 103, दक्ष अपार्टमेंट ईएफ 22, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश से हो चुका है। अब मुझे श्रीमती राधिका शिवहरे पति श्री कपिल शिवहरे के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(कु. रजनी गुप्ता)

पिता-श्री रामनारायण गुप्ता।

(409-बी.)

नया नाम :

(राधिका शिवहरे)

पति-श्री कपिल शिवहरे,
निवासी-प्लैट नं. 103, दक्ष अपार्टमेंट ईएफ 22,
स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, शशिप्रभा शर्मा उर्फ माधवी शर्मा पत्नी स्व. के. के. शर्मा नि.-एफ-25, मीरा भवन, श्री कृष्ण कॉलोनी, हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश की पेन्शन माधवी शर्मा के नाम से प्राप्त हो रही है, जबकि प्रार्थियाँ का सभी दस्तावेज में नाम शशिप्रभा शर्मा अंकित है। शशिप्रभा शर्मा उर्फ माधवी शर्मा पत्नी स्व. श्री के. के. शर्मा एक ही महिला के नाम है। मुझे भविष्य में शशिप्रभा शर्मा उर्फ माधवी शर्मा के नाम से जाना, पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(शशिप्रभा शर्मा)

(410-बी.)

नया नाम :

(शशिप्रभा शर्मा उर्फ माधवी शर्मा)

निवासी-एफ-25, मीरा भवन, श्री कृष्ण कॉलोनी,
हैदरगंज, मामा का बाजार, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शालिनी चावला पति श्री संजय चावला निवासी-हाऊस नंबर 26, हिल्स् व्यु कॉलोनी, प्रज्ञा गर्ल्स हाई स्कूल के सामने, भिचौली मर्दना, इन्दौर मध्यप्रदेश इस जाहिर- सूचना द्वारा सर्व-साधारण को प्रकट करती हूँ कि, मेरे जन्म के समय मेरे पिता द्वारा मेरा नाम शालु रखा गया था। शादी के पूर्व मेरा नाम शालु तलरेजा पिता श्री हरीश तलरेजा था। मेरी शादी के होने के पश्चात् मैंने अपना नाम शालिनी रख लिया है। मेरे पति का उपनाम चावला होने से मैं अपना नाम शालिनी एवं उपनाम चावला लगाती हूँ वर्तमान में मैं श्रीमती शालिनी चावला पति श्री संजय चावला के नाम से जानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

(शालु तलरेजा)

पिता-हरीश तलरेजा

(411-बी.)

नया नाम :

(शालिनी चावला)

पति-श्री संजय चावला.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, शिशु कुमार वर्मा पिता श्री महावीर प्रसाद वर्मा, उम्र 48 वर्ष ग्राम-बड़खरा 735, पोस्ट बड़खरा थाना व तहसील चुरहट, जिला सीधी मध्यप्रदेश का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि शिशु कुमार बारी व शिशु कुमार वर्मा दोनों ही मेरे नाम हैं मेरे शैक्षणिक अंकसूची एवं विभागीय अन्य रिकार्ड में बारी है। तथा आधार, वोटर आईडी कार्ड, बैंकखाता के साथ-साथ अन्य अभिलेखों में शिशु कुमार वर्मा दर्ज है। जिसे आज से मुझे शिशु कुमार वर्मा के नाम से जाना, पहचाना एवं समस्त रिकार्डों (अभिलेखों) के सुधार किया एवं पढ़ा जाये।

पुराना नाम :

(शिशु कुमार बारी)

(412-बी.)

नया नाम :

(शिशु कुमार वर्मा)

पिता-श्री महावीर प्रसाद वर्मा,
पता-ग्राम बड़खरा, पोस्ट बड़खरा,
तहसील-थाना चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम परिवर्तन कर शोभा वर्मा पति अमित वर्मा (SHOBHA VERMA W/O AMIT VERMA) के स्थान पर शोभा सोनी पति अमित सोनी (SHOBHA SONI W/O AMIT SONI) कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम शोभा सोनी पति अमित सोनी (SHOBHA SONI W/O AMIT SONI) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा। सो विदित होवे।

पुराना नाम :

(शोभा वर्मा)

पति-अमित वर्मा,

(413-बी.)

नया नाम :

(शोभा सोनी)

पति-अमित सोनी,
निवासी-बी-157, बसंत विहार,
बाघे अस्पताल के सामने, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अनिता कारडा पत्नी श्री चिराग कारडा सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम हीर कारडा पत्नी श्री चिराग कारडा था जो मेरी एल. आई. सी. पौलिसी क्रमांक 203268926 एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है वर्तमान में मैं श्रीमती अनिता कारडा पत्नी श्री चिराग कारडा से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती अनिता कारडा एवं हीर कारडा मेरे ही नाम है अतः मेरी एल. आई. सी. पौलिसी क्रमांक 203268926 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम हीर कारडा के स्थान पर श्रीमती अनिता कारडा पत्नी श्री चिराग कारडा लिखा एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(हीर कारडा)

(414-बी.)

नया नाम :

(अनिता कारडा)

पता-आंगे साहब का बाड़ा, लाला का बाजार,
लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, सत्येन्द्र राजपूत (SATYENDRA RAJPUT) पुत्र श्री सोवरन सिंह (SOVARAN SINGH) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा बोलता नाम सत्येन्द्र सिंह राजपूत (SATYENDRA SINGH RAJPUT) था जो मेरे कर्मचारी संख्या 74323732 परीक्षण संभाग प्रथम मध्यप्रदेश पा. ट्रा. कं. लि. ग्वालियर में परीक्षण परिचारक श्रेणी दो के पद पर दिनांक 01-04-2011 से नियुक्त हूँ मेरी सर्विस बुक में गलती से लिख गया है जबकि मुझे वर्तमान में सत्येन्द्र राजपूत (SATYENDRA RAJPUT) के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है एवं मेरे

आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम सत्येन्द्र राजपूत (SATYENDRA RAJPUT) लिखा है। अतः मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम सत्येन्द्र सिंह राजपूत (SATYENDRA SINGH RAJPUT) के स्थान पर सत्येन्द्र राजपूत (SATYENDRA RAJPUT) लिखा जाये सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(सत्येन्द्र सिंह राजपूत)
(SATYENDRA SINGH RAJPUT)

(415-बी.)

नया नाम :

(सत्येन्द्र राजपूत)
(SATYENDRA RAJPUT)निवासी-जी-11, लक्ष्मीपुरम ट्रान्सपोर्ट नगर के पास,
गिर्द, ग्वालियर (म.प्र.).**उप-नाम परिवर्तन**

मैं, सुरेश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री छिद्रालाल सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा पूर्व का बोलता नाम सुरेश चन्द सिंघल था जो मेरे शेयर एवं बैंक खाता तथा अन्य प्रपत्रों में अंकित है जबकि वर्तमान में मैं सुरेश चन्द अग्रवाल (SURESH CHAND AGARWAL) के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम सुरेश चन्द अग्रवाल लिखा है तथा सुरेश चन्द अग्रवाल एवं सुरेश चन्द सिंघल एक ही व्यक्ति के नाम है अतः मेरे शेयर एवं बैंक खाता एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सुरेश चन्द सिंघल के स्थान पर सुरेश चन्द अग्रवाल लिखा एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हो।

पुराना नाम :

(सुरेश चन्द सिंघल)

(416-बी.)

नया नाम :

(सुरेश चन्द अग्रवाल)
निवासी-माहोर कॉलोनी, दल्लपुरा,
मुरैना (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र की एलआईसी पॉलिसी में उसका नाम अनुराग सिंह तोमर दर्ज है जबकि उसके शैक्षणिक, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में उसका नाम आशुतोष सिंह तोमर दर्ज है। अतः सूचना प्रकाशन के बाद मेरे पुत्र को अनुराग सिंह तोमर के स्थान पर आशुतोष सिंह तोमर ही पढ़ा व समझा जावे।

(417-बी.)

वीरेन्द्र सिंह तोमर,

निवासी-गोसपुरा न. 1, हजीरा, ग्वालियर।

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम किशोर चंद पिता पंचम था। मेरी अंकसूची में मेरे नाम के बाद सरनेम साहू नहीं जुड़ा था। मेरा वास्तविक नाम अब किशोर चंद साहू पिता पंचम साहू है। यह नाम शासकीय अशासकीय दस्तावेजों में जाना पहचाना और पढ़ा जावे। मेरा नाम अब सरनेम (साहू) के साथ पढ़ा जावे।

(418-बी.)

पुराना नाम :

(किशोर चंद)
पिता- पंचम,

नया नाम :

(किशोर चंद साहू)
पिता- पंचम साहू,
पता- शिक्षक केन्द्रीय विद्यालय, वायुसेना स्थल,
आमला, जिला बैतूल (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कालू मंसोरे पिता श्री रमेश मंसोरे था जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है। यह कि अब मेरे द्वारा मेरा नाम परिवर्तित कर मेरा नया नाम विनोद मंसोरे पिता श्री रमेश मंसोरे हो गया है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के अर्थात् मेरे हैं। एवं मुझे उक्त दोनों नामों से जाना व पहचाना जाता है अतः अब से मुझे मेरे नये नाम विनोद मंसोरे पिता श्री रमेश मंसोरे के नाम से ही जाना व पहचाना जावें।

(419-बी.)

पुराना नाम :

(कालू मंसोरे)
पिता- श्री रमेश मंसोरे,

नया नाम :

(विनोद मंसोरे)
पिता- श्री रमेश मंसोरे,
निवासी-34/1, ग्राम किठुद, तह. बडवाह,
जिला खरगोन (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, फुलझड़ी उर्फ गौरी उम्र 60 वर्ष, पति श्री जेठू पाल, जाति गाड़ी, निवासी-पातालेश्वर, वार्ड क्र.19, छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश में उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ मेरा नाम फुलझड़ी जो कि बैंक पास बुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में मेरा नाम फुलझड़ी है एवं राजस्व, दस्तावेजों, विद्युत बिल आदि में मेरा नाम गौरी नाम दर्ज है. यह कि मेरा नाम फुलझड़ी उर्फ गौरी ये दोनों ही नाम मेरे ही है जो एक ही महिला का नाम है. यह कि मेरा नाम आज से सभी दस्तावेजों में फुलझड़ी उर्फ गौरी शपथपूर्वक सत्यापित करती हूँ कि यह कथन मेरे स्वयं के ज्ञान से सत्य व सही हैं।

पुराना नाम :

(फुलझड़ी)

(420-बी.)

नया नाम :

(फुलझड़ी उर्फ गौरी)

पति-स्व. जेठू पाल,

निवासी-शिव मंदिर के पास, रेल्वे कॉलोनी, छिन्दवाड़ा

पो. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) 480001.

नाम परिवर्तन

मैं, रामकली पाठक, पलि स्व. श्री श्याम बाबू पाठक एवं पुत्री स्व. श्री अमृत लाल शुक्ला, निवासी-बी/9, जानकी विहार, बी. टी. तिराहा के पास, पचमठा मंदिर, रानी दुर्गावती वार्ड, गढ़ा, जिला-जबलपुर मध्यप्रदेश जिसे अब तक “रामकली शुक्ला” उर्फ “रामकली पाठक” उर्फ “नमिता पाठक” कहा जाता था अपने इस निश्चय को प्रकट करने के प्रयोजनार्थ घोषणा करती हूँ कि मैं, इसके पश्चात् समस्त समयों पर, समस्त अभिलेखों, विलेखों तथा लेखों में समस्त कार्यवाहियों तथा संव्यवहारों में, चाहे ये प्रायवेट हों या सरकारी हों और समस्त अवसरों पर अपने परिवर्तित नाम “रामकली पाठक” का ही उपयोग करूँगी और इसी नाम के हस्ताक्षर करूँगी. अतः मुझे “रामकली पाठक” के नाम से जाना पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(रामकली शुक्ला/रामकली पाठक/नमिता पाठक)

(421-बी.)

नया नाम :

(रामकली पाठक)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र रोहित भूरिया की अंकसूचियों में मेरा नाम राजू भूरिया अंकित है जबकि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम राजकुमार अंकित है. राजकुमार एवं राजू भूरिया दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

मैं, भविष्य में राजू भूरिया के स्थान पर राजकुमार भूरिया के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाऊंगा।

पुराना नाम :

(राजू भूरिया)

निवासी-कोटा वाला मोहल्ला,
इन्द्रा प्राथमिक विद्यालय के पास, ग्वालियर (म.प्र.).

(424-बी.)

नया नाम :

(राजकुमार भूरिया)

निवासी-कोटा वाला मोहल्ला,
इन्द्रा प्राथमिक विद्यालय के पास, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार के सर्विस रिकॉर्ड में नाम कमल सिंह पुत्र श्री पतराम अंकित है जबकि मेरे पक्षकार के पैन कार्ड, आधारकार्ड में नाम कमल सिंह कुशवाह पुत्र श्री पतराम कुशवाह एवं अन्य दस्तावेजों में नाम कमल सिंह कुशवाह पुत्र श्री पतराम दर्ज है उक्त नाम एक ही व्यक्ति के ही है भविष्य में मेरे पक्षकार को कमल सिंह कुशवाह पुत्र श्री पतराम कुशवाह के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जायेगा।

प्रदीप खौड़िया,

(एडवोकेट)

ग्वालियर (म.प्र.).

(425-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शेखर राममोहन सिंह तांडेल, उम्र 23 वर्ष पिता श्री राममोहन बंसीलाल तांडेल, निवासी-हॉल 1, पॉडिट द्वारका प्रसाद मिश्र, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट ऑफिस खमरिया, जिला जबलपुर (म.प्र.)

यह सूचित करता हूँ कि मेरी कक्षा 10वीं की मार्कशीट में मेरा नाम तांड़ेल शेखर सिंह राममोहन दर्ज है जिसे मैंने सुधार कर शेखर राममोहन सिंह तांड़ेल करवा लिया है एवं यही नाम अब मेरे समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैनकार्ड और पासपोर्ट में दर्ज हो. अतः आज से मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना व लिखा पढ़ा जाए.

पुराना नाम :	नया नाम :
(तांड़ेल शेखरसिंह राममोहन)	(शेखर राममोहन सिंह तांड़ेल)
(426-बी.)	

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रमेश कुमार द्विवेदी पिता श्री हुब्बमणि द्विवेदी, उम्र 56 साल, निवासी ग्राम डभौरा बस्ती, पो. डाभौर, तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.) है. मेरे समस्त दस्तावेज जैसे अंकसूची आधार कार्ड एवं सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रमेश कुमार द्विवेदी (RAMESH KUMAR DWIVEDI) पिता श्री हुब्बमणि द्विवेदी (HUBBMANI DWIVEDI) अंकित है. मेरा पेनकार्ड क्र. DIAPK7055L जिसमें मेरा नाम रमेश कुमार द्विवेदी (RAMESH KUMAR DWIVEDI) पिता श्री हुम्मन द्विवेदी (HUMAN DWIVEDI) अंकित हो गया है. जो कि त्रुटिपूर्ण है. अतः भविष्य में मुझे रमेश कुमार द्विवेदी (RAMESH KUMAR DWIVEDI) पिता श्री हुब्बमणि द्विवेदी (HUBBMANI DWIVEDI) के नाम से जाना, पहचाना एवं लिखा व पढ़ा समझा जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(रमेश कुमार द्विवेदी)	(रमेश कुमार द्विवेदी)
(RAMESH KUMAR DWIVEDI)	(RAMESH KUMAR DWIVEDI)
पिता-श्री हुम्मन द्विवेदी	पिता-श्री हुब्बमणि द्विवेदी,
(HUMAN DWIVEDI)	(HUBBMANI DWIVEDI)
(427-बी.)	

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा सही नाम विनय धकाते पुत्र देवेन्द्र धकाते व चन्द्रकला धकाते हैं, किन्तु मेरे कुछ दस्तावेजों व अंकसूचियों में हमारा नाम विनय पुत्र देवेन्द्र व चन्द्रकला (Chandr kala) लिखा गया है, जो अपूर्ण है. अतः अब से सभी शासकीय-अशासकीय व शैक्षणिक अंकसूचियों में हमारे सही नाम विनय धकाते पुत्र देवेन्द्र धकाते व चन्द्रकला धकाते (Chandrakala Dhakate) से लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(विनय)	(विनय धकाते)
पुत्र-देवेन्द्र व चन्द्रकला.	पुत्र-देवेन्द्र धकाते व चन्द्रकला धकाते,
(429-बी.)	वार्ड नं. 6 चांगाटोला लामता, बालाघाट (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुजाता काटदरे पल्लि श्री सुधांशु काटदरे, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी बी-69 पद्मनाभ नगर, वार्ड नं. 43 सुभाष नगर के पास भोपाल (म.प्र.) है जो त्रुटिवश सोम्या काटदरे हो गया जो सही नहीं है. अब मैं सुजाता काटदरे के नाम से पहचानी जाती हूँ. अतः भविष्य में भी मुझे सुजाता काटदरे के नाम से जाना जावे एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(सोम्या काटदरे)	(सुजाता काटदरे)
(431-बी.)	

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष कुमार तिवारी (ASHEESH KUMAR TIWARI) पुत्र श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी था. जबकि अब मैंने अपना नाम आशीष कुमार तिवारी के स्थान पर आशीष त्रिपाठी (ASHEESH TRIPATHI) रख लिया है. अतः अब मुझे भविष्य में आशीष त्रिपाठी (ASHEESH TRIPATHI) के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम :	नया नाम :
(आशीष कुमार तिवारी)	(आशीष त्रिपाठी)
(432-बी.)	पुत्र-श्री धीरेन्द्र कुमार तिवारी, निवासी-वार्ड नं. 19, वीरेन्द्र वॉटिका, भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रूचि देवांग पत्नी श्री रूपेश कुमार देवांग सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम रूचि वर्मा पुत्री श्री विनोद वर्मा था. जो मेरे शैक्षणिक एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में अंकित है मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से श्री रूपेश कुमार देवांग के साथ दिनांक 11-07-2013 को सम्पन्न हुआ था. विवाह उपरांत मैं, श्रीमती रूचि देवांग पत्नी श्री रूपेश कुमार देवांग के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम श्रीमती रूचि देवांग पत्नी श्री रूपेश कुमार देवांग के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी, अतः मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रूचि वर्मा के स्थान पर श्रीमती रूचि देवांग पत्नी श्री रूपेश कुमार देवांग अंकित किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(रूचि वर्मा)

(433-बी.)

नया नाम :

(रूचि देवांग)

निवासी-95 ए-जी स्कीम नं. 54, इन्दौर.

PUBLIC NOTICE

NOTIFICATION U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

This is to notify that Shri Girdharilal Tayal S/o Late Shri Biharilalji Tayal, Shri Pawan Kumar Tayal S/o Late Shri Shantilal Tayal and Shri Shrey Kumar Tayal S/o Shri Dilip Kumar Tayal have been retired from the Partnership w.e.f. 25-07-2018.

Further notified that partner Shri Rajendra Kumar Tayal has also died on 24-07-2018 and ceased to be partner with effect from the said date.

Consequent upon the above changes, Shri Ankit Kumar Tayal S/o Shri Girdharilalji Tayal, Shri Arpit Kumar Tayal legal heir of deceased partner Late Shri Rajendrakumarji Tayal and Shri Nikunj Kumar Tayal S/o Shri Girdharilalji Tayal have been admitted as new partners in the Partnership Firm M/s. Nimar Agro park, Survey No. 153, Jamli Near Sendhwa Toll Plaza, the. Sendhwa Distt. Barwani (M.P.). w.e.f. 25-07-2018.

The constitution of the firm stands altered accordingly.

For-M/s. Nimar Agro Park,
ASHOK KUMAR TAYAL,

(422-B.)

(Partner).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म कृष्णा ऐंग्रो वेयरहाउस, पता-ग्राम-बुजुर्ग, डबरा, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक- 02/42/02/00096/13, दिनांक 12-September-2013 है. जिसमें आपसी सहमति से दिनांक-01-04-2019 से भागीदारी में आंशिक परिवर्तन किया गया है. भागीदार श्रीमती सरोज जैन पत्नी श्री अरूण जैन ने फर्म में भागीदार के रूप में कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है. इनके स्थान पर श्रीमती पूजा हबलानी पत्नी श्री घनश्याम दास हबलानी फर्म में भागीदार के रूप में कार्य करेंगी. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

फर्म-कृष्णा ऐंग्रो वेयरहाउस ,
पदमा हबलानी,
(भागीदार)

(423-बी.)

पता-ग्राम बुजुर्ग, डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड कैरियर्स अमरकंटक रोड, धनपुरी, जिला शहडोल मध्यप्रदेश का पंजीयन क्र. 664, दिनांक 02-03-1993 पर पंजीकृत फर्म है. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 01-04-1993 को जसजीत सिंह वालिया एवं श्री रतन सिंह विदावल को फर्म के भागीदार से पृथक होने एवं उक्त दिनांक को श्री दलपत सिंह फर्म के भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये थे. उक्त से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

फर्म-मैसर्स जेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड कैरियर्स,
हनुमान प्रसाद खण्डेलवाल,
(भागीदार)
पता-धनपुरी, जिला शहडोल (म.प्र.).

(428-बी.)

जाहिर सूचना

यह कि मैसर्स कौशल्या इंटरप्राइजेस (KAUSHALAYA ENTERPRISES) 01 शुक्ला चौक, मंदसौर जो कि एक भागीदारी फर्म है तथा जिसका पंजीयन क्रमांक 07/35/01/0102/17 सन 2017-18 है। उक्त फर्म में श्री मोहन पिता झमटमल मेघनानी, श्री सुर्यकांत पिता हरीबल्लभ पोरवाल, श्री अंकित पिता प्रदीप किमती एवं श्री विनोदकुमार पिता बापुलाल गर्ग भागीदार हैं। उक्त फर्म में से श्री विनोदकुमार पिता बापुलाल गर्ग दिनांक 30-06-2019 से सेवानिवृत्त (RETIRE) हो रहे हैं। अतएव सूचनार्थ प्रकाशित।

द्वारा—मैसर्स कौशल्या इंटरप्राइजेस,
मोहन मेघनानी,
(भागीदार)।

(430-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शिवांश हाइवे फर्म का गठन 2009 में आशीष कुमार शुक्ला, जगदीश सिंह राजपूत, सरोज सिंह, सुशील कुमार शर्मा एवं आशीष सिंह ने किया था जिसमें आज 28-03-2018 से रिजवान अली नए भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं। फर्म के भागीदार जगदीश सिंह राजपूत का दिनांक 11-10-2016 को निधन हो जाने के बाद फर्म के तीन भागीदार सुशील कुमार शर्मा, सरोज सिंह, आशीष सिंह आज 28-03-2018 को फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त कर लिए हैं। आज दिनांक के बाद फर्म की समस्त जबाबदारियां आशीष कुमार शुक्ला एवं रिजवान अली की होंगी। फर्म की गतिविधियों से सुशील कुमार शर्मा, सरोज सिंह, आशीष सिंह का 28-03-2018 से कोई सरोकार नहीं होगा।

द्वारा—मैसर्स शिवांश हाइवे,
सुशील कुमार शर्मा, सरोज सिंह, आशीष सिंह,
आशीष कुमार शुक्ला, रिजवान अली,
(भागीदार)।

(434-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म Mahesh Associates जिसका पता-61, R.N.T. मार्ग है तथा जिसका पंजीयन क्रमांक 1F/135/02-03, दिनांक 01-04-2001 से एक भागीदार फर्म है। उक्त भागीदारी फर्म में 1. श्री लोकेश मोदी, 2. श्री हेमंत कुमार दानी, 3. श्रीमती कुमुम मोदी, 4. श्री पुरुषोत्तम मोदी, 5. श्रीमती शकुन्तला देवी मोदी, 6. श्रीमती किरण दानी को दिनांक 01-04-2001 से फर्म में सम्मिलित किया गया था परंतु फर्म एवं सोसायटी इन्डैर में त्रुटीवश भागीदार क्रमांक 1,2,3,4 को सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः त्रुटी के निवारण हेतु यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। अतः भविष्य में उक्त भागीदारों को भी हमारी फर्म में दिनांक 01-04-2001 से ही भागीदार माना जाए।

For-M/S MAHESH ASSOCIATES,
पुरुषोत्तम मोदी,
(भागीदार)

(435-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट उपखण्ड जावरा, जिला रतलाम प्रक्र.01/ब-113/2017-18.

जावरा, दिनांक 31 जुलाई, 2019, 01 अगस्त, 2019

प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

क्र. 3574/रीडर-1/2019.—चूंकि संबाद हेतु श्री चन्द्रप्रभु मूर्ति पूजक ट्रस्ट ढोढ़र मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2019 को प्रातः 11:00 बजे विचार के लिए लिया जाएगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी जावरा, जिला रतलाम का लोक न्यासी का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 22 अगस्त, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक का या तो व्यक्ति या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम : श्री चन्द्रप्रभु मूर्ति पूजक ट्रस्ट ढोढर.
2. चल सम्पत्ति का विवरण : एक बैंक खाता जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., ढोढर, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.).
3. अचल सम्पत्ति का विवरण : ग्राम ढोढर, तहसील जावरा स्थित भूमि 50 x150 कुल 7500 वर्गफीट भूमि जिस पर मन्दिर बना हुआ है तथा उपासरा बना हुआ है।

एम. एल. आर्य,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(493)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयन लोक न्यास बैहर, जिला बालाघाट

रा.प्र.क्र.03/बी-113/2011-12.

मौजा-बैहर, तहसील-बैहर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 5 (1) देखिए]

पंजीयक,
लोक न्यास, बैहर.
जिला बालाघाट (म.प्र.).

चूंकि श्री यादोगर चौधरी पिता स्व. बकाराम चौधरी जाति पंवार, निवासी वार्ड नंबर 09 सिविल लाईन बैहर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट द्वारा गायत्री शक्तिपीठ, बैहर में मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-04 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19-08-2019 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे यह सूचना लोक न्यास के और उसका गठन करती है।

अतः मैं, बैहर, जिला बालाघाट का लोक न्यासी का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 19-08-2019 को अधिनियम की धारा-05 उपधारा-1 के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी, न्यासधारी या उसके तहत उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले के प्रकाशन दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करे और कोर्ट में मेरे उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा।

लोक न्यास का संपत्ति का नाम एवं पता:-

1. गायत्री शक्तिपीठ मंदिर बैहर वार्ड नंबर 09, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.).

2. ग्राम बैहर (नरसिंगटोला) की खसरा नंबर 322/1ल रकबा 0.05 डि. भूमि.

3. ग्राम बैहर सिविल लाईन वार्ड नंबर 09 की खसरा नंबर 3/1ज रकबा 0.02 डि. भूमि।

आज दिनांक 18 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

चन्द्र प्रताप सिंह गोहल,
अनुविभागीय अधिकारी।

(494)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वनमण्डल , बड़वाह

समस्त पशु-स्वामियों एवं चरवाहों को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश चराई नियम-1986 के तहत यह प्रकाशित किया जाता है कि बड़वाह सामान्य वनमण्डल के निम्नलिखित वन क्षेत्र 01 जुलाई, 2019 से आगामी आदेश तक चराई हेतु वर्जित होंगे, जो चरवाहे अथवा पशु-स्वामी वन क्षेत्रों में पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। उनके विरुद्ध वन नियमावली अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी :—

(अ) दिनांक 01-07-2019 से चराई से बंद कूप (सामान्य वन मण्डल बड़वाह)

क्र.	परिक्षेत्र का नाम	पातन श्रेणी	वर्किंग सर्कल (कार्य वृत्त)	कूप नं.	कक्ष क्र.	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बड़वाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	X	262	52.200
2.	काटकूट	पुर्नस्थापना	मुरल्ला	X	179	96.750
3.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	X	114	153.100
4.			देवगढ़	X	88	132.530
5.	काकड़ा	पुर्नस्थापना	गढ़ी	X	7	87.720
6.			गुठानिया	X	14	102.380
7.			काकड़ा	X	19	87.750
8.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	X	29	104.310
9.			बेकल्या	X	35	177.225
10.			गोवर्धनपुरा	X	50	103.830
11.	पाड़ल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	X	63	103.740
12.			प्रेमपुरा	X	67	119.470
13.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	X	328	66.240
14.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	X	300	157.950
15.			नलवट	X	317	123.520
16.			सनावद	X	293	245.470
17.	बड़वाह	सुधार पातन	जयंतीमाता	X	274	174.600
18.			सुरतीपुरा	X	278	121.950
19.			कडियाकुण्ड	X	221	124.870
20.			सुलगांव	X	239	145.120
21.			कुण्डी	X	225	161.770
22.			पलास्या	X	221	146.470
23.			माधवपुरा	X	247	144.450
24.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	X	138	115.980
25.			बडकीचौकी	X	77	176.760
26.			बलवाड़ा	X	106	154.120

1	2	3	4	5	6	7
27.	बलवाड़ा	सुधार पातन	कालापाठा	X	122	159.680
28.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	X	150	135.270
29.			चैनपुरा	X	159	146.350
30.			ओखला	X	140	151.870
31.			कोदवार	X	209	122.400
32.			काटकूट	X	195	109.800
33.			बडेल	X	202	214.170
34.			मेंहदीखेडा	X	217	92.450
35.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	X	25	118.970
36.	बड़वाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	XI	262	40.160
37.	काटकूट	पुर्नस्थापना	मुरल्ला	XI	184	282.670
38.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	XI	116	161.450
39.			देवगढ	XI	85	139.050
40.	काकड़दा	पुर्नस्थापना	गढ़ी	XI	P 331	95.400
41.			गुठानिया	XI	13	119.150
42.			काकड़दा	XI	27	121.280
43.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	XI	2	135.220
44.			बेकल्या	XI	35	134.273
45.			गोवर्धनपुरा	XI	58	125.120
46.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	XI	64	132.530
47.			प्रेमपुरा	XI	67	98.230
48.	सनावद	पुर्नस्थापना	सनावद	XI	329	75.020
49.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	अंजनगांव	XI	304	211.720
50.			नलवट	XI	318	157.050
51.			सनावद	XI	294	150.175
52.	बड़वाह	सुधार पातन	जंयतीमाता	XI	274	136.730
53.			सुरतीपुरा	XI	280	129.670
54.			कडियाकुण्ड	XI	222	119.470
55.			सुलगांव	XI	238	95.175
56.			कुण्डी	XI	230	78.820
57.			पलास्या	XI	243	104.450
58.			माधवपुरा	XI	247	81.440
59.	बलवाड़ा	सुधार पातन	थरवर	XI	139	194.28
60.			बडकीचौकी	XI	77	152.710
61.			बलवाडा	XI	107	121.830

1	2	3	4	5	6	7
62.	बलवाड़ा	सुधार पातन	कालापाठा	XI	111	106.200
63.	काटकूट	सुधार पातन	गवलनपाटी	XI	170	98.550
64.			चैनपुरा	XI	155	117.000
65.			ओखला	XI	141	186.300
66.			कोदवार	XI	209	136.800
67.			काटकुट	XI	195	94.730
68.			बडेल	XI	201	171.450
69.			मेंहदीखेडा	XI	217	134.240
70.	काकड़दा	सुधार पातन	काकड़दा	XI	25	127.250
71.	बड़वाह	पुर्नस्थापना	जयंतीमाता	XII	P 331	26.450
72.			मुरल्ला	XII	185	140.920
73.	बलवाड़ा	पुर्नस्थापना	कालापाठा	XII	115	69.717
74.			देवगढ़	XII	93	159.820
75.	काकड़दा	पुर्नस्थापना	गढ़ी	XII	8	86.660
76.			गुठानिया	XII	11	105.070
77.			काकड़दा	XII	27	96.970
78.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सालीपुरा	XII	31	97.650
79.			बेकल्या	XII	36	167.125
80.			गोवर्धनपुरा	XII	51	148.159
81.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	बागदरा	XII	64	138.600
82.			पाडल्या	XII	68	93.799
83.	सनावद	पुर्नस्थापना	बेडिया	XII	330	44.560
84.	सनावद	मृदा एवं जल	अंजनगांव	XII	305	270.670
85.		संरक्षण	नलवट	XII	319	121.840
86.			सनावद	XII	294	146.375
87.	काकड़दा	सुधार पातन	हिंडोलागवाडी	I	32	133.930
88.	मण्डलेश्वर	सुधार पातन	नवरंगपुरा	I	52	89.930
89.	बलवाड़ा	सुधारपातन	बडकीचौकी	I	79	50.670
90.			बामनपुरी	I	99	71.620
91.			धनकुंआ	I	105	70.920
92.			ग्वालु	I	109	71.780
93.			सबलपुरा	I	112	65.270
94.			चिचला	I	114	62.810
95.			सेंधवा	I	131	61.220
96.			करोदिया	I	134	66.370

1	2	3	4	5	6	7
97.	बलवाड़ा	सुधारपातन	सुरतिपुरा	I	126	54.530
98.			कालापाठा	I	136	100.260
99.	काटकूट	सुधारपातन	बखतगड	I	218	62.440
100.			कुण्डया	I	214	67.780
101.			मेंहदीखेडा	I	210	78.810
102.			तोरानिया	I	211	41.170
103.			सालिखेडा	I	189	65.740
104.			बडेल	I	204	88.050
105.			बडेल उत्तर	I	199	68.620
106.			मेंहदीखेडा	I	208	48.030
107.			भेरुखेडा	I	192	65.760
108.			तरान्या	I	203	43.350
109.			निमखेडा पूर्व	I	197	56.580
110.			निमखेडा	I	194	55.030
111.			बरधावन	I	196	81.510
112.			ओखला	I	182	75.090
113.			चंदुपुरा	I	177	47.870
114.			नाचनबोर	I	173	53.780
115.			सेंडल	I	147	49.540
116.			चैनपुरा उत्तर	I	149	80.520
117.	काटकूट	सुधारपातन	मेंडल	I	152	61.690
118.			नयापुरा	I	158	75.370
119.			बेरछा	I	156	65.800
120.			गवलनपाटी	I	163	69.100
121.			गवलनपाटी पश्चिम	I	169	53.710
122.			चैनपुरा	I	171	66.880
123.	बड़वाह		सापट	I	248	74.780
124.			लउण्डी	I	251	72.130
125.			सोरठी बारूल	I	242	47.170
126.			कोडवार बुजुर्ग	I	241	62.210
127.			कुण्डी	I	226	61.770
128.			कुण्डी पश्चिम	I	228	72.810
129.	बड़वाह	सुधारपातन	पातलीमाल	I	252	72.200
130.			रावतपलासिया	I	240	77.870
131.			सुलगांव उत्तर	I	233	72.880

1	2	3	4	5	6	7
132.	बड़वाह	सुधारपातन	कडियाकुण्ड पूर्व	I	219	60.950
133.			कडियाकुण्ड	I	220	71.430
134.			रामकुल्ला	I	260	73.660
135.			बागफल	I	273	63.770
136.			सैलानी	I	285	72.450
137.			कोठावां	I	283	52.730
138.			सुलगांव दक्षिण	I	234	55.680
139.			कडियाकुण्ड	I	235	56.750
140.	बड़वाह	सुधारपातन	मिर्धावन	I	275	80.500
141.			सुरतीपुरा	I	276	48.180
142.			मोहिदा	I	272	55.270
143.			सुलगांव	I	257	82.830
144.			करोदिया पूर्व	I	284	63.530
145.			करोदिया	I	270	70.190
146.			सालखेडा	I	259	93.050
147.	पाडल्या		नाचनबोर	I	76	56.550
148.			प्रेमपुरा	I	75	66.430
149.			रोश्याबारी	I	61	61.950
150.			जामखुर्द	I	57	55.050
151.	काकड़दा	पुर्नस्थापना	बाकानेर	I	15	47.730
152.			भुवनतलाई	I	21	53.120
153.			कालिबेल	I	20	34.200
154.			कुसम्भ्या	I	10	43.640
155.			काकड़दा	I	8	49.350
156.			जामनझिरी	I	17	39.450
157.			भेडल्या छोटा	I	11	72.270
158.			रागडघाटी	I	6	51.340
159.			हेलाबाबर	I	26	50.820
160.			बडवेल	I	27	51.890
161.			टेकवा	I	28	53.020
162.			सेल	I	3	50.110
163.			टेमरिया	I	4	37.840
164.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	बेकल्या	I	50	45.790
165.			गोंडकुआं	I	49	56.270
166.			गुजरमोहना	I	47	64.950

1	2	3	4	5	6	7
167.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	टेकवा	I	40	37.910
168.			सालोपुरा	I	41	48.070
169.			सिरस्या	I	45	44.600
170.			कापरखेडा	I	43	46.640
171.	बलवाडा		डोंगरगांव	I	84	54.290
172.			बढ़कीचौकी दक्षिण	I	85	31.540
173.			देवगढ	I	90	33.810
174.			उधरन्या	I	95	39.120
175.			जुलवानिया	I	96	43.340
176.			धनकुआ	I	97	38.050
177.			राजपुरा	I	101	33.130
178.			बलवाडा	I	110	55.550
179.			बरझर	I	113	48.150
180.			जगतपुरा	I	P 331	35.930
181.	सनावद	पुर्नस्थापना	बालाबड़	I	286	59.150
182.			गुमठी	I	301	39.530
183.	पाडल्या		झिरन्या	I	60	51.750
184.			माधवपुरा	I	69	50.650
185.			बलसगांव	I	70	53.030
186.			बागदरा	I	59	53.670
187.	काटकूट		नयापुरा दक्षिण	I	159	67.020
188.			चैनपुरा दक्षिण	I	151	58.130
189.			आक्या	I	142	57.230
190.			ओखला	I	178	42.010
191.			निमखेडा	I	198	55.950
192.			सालखेडा	I	187	43.630
193.			पलसूद	I	185	38.790
194.			बरखेडा	I	186	44.660
195.	मण्डलेश्वर	वृक्षारोपण	बढा	I	P 340	51.140
196.			खारिया	I	36	47.900
197.	पाडल्या	वृक्षारोपण	पाडल्या	I	64	66.270
198.	सनावद	वृक्षारोपण	जिरभार	I	P 329	67.070
199.			बिंजलवदड़	I	303	42.330

1	2	3	4	5	6	7
200.	सनावद	वृक्षारोपण	बिजासनी	I	305	53.940
201.			मोखनगांव	I	293	48.120
202.			हीरापुर	I	292	48.970
203.	सनावद	वृक्षारोपण	खानपुरा	I	320	50.44
204.			बालिया	I	P 323	24.85
205.			बालिया	I	P 328	15.36
206.			डेलगांव	I	288	55.51
207.			नलवट	I	289	60.3
208.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	खुडगांव	I	287	54.38
209.			बागदाखुर्द	I	299	56.25
210.			अम्बा	I	298 A	34.35
211.			पिपरीखेडा	I	306	46.77
212.			उमरिया	I	309	64.93
213.			जुलवानिया	I	297	38.53
214.	काकड़ा	सुधार पातन	हिंडोलागवाडी	II	32	102.220
215.	मण्डलेश्वर	सुधार पातन	नवरंगपुरा	II	52	116.390
216.	बलवाडा	सुधार पातन	बडकीचौकी	II	79	57.610
217.		सुधार पातन	बामनपुरी	II	99	62.910
218.		सुधार पातन	धनकुआं	II	105	62.320
219.		सुधार पातन	ग्वालु	II	124	64.550
220.		सुधार पातन	सबलपुरा	II	112	50.080
221.		सुधार पातन	चिचला	II	117	55.020
222.		सुधार पातन	सेंधवा	II	131	54.260
223.		सुधार पातन	करोदिया	II	134	74.360
224.		सुधार पातन	सुरतिपुरा	II	126	58.400
225.		सुधार पातन	कालापाठा	II	135	50.270
226.	काटकूट	सुधार पातन	बखतगड	II	218	72.620
227.		सुधार पातन	कुण्डया	II	214	70.810
228.		सुधार पातन	मेंहदीखेडा	II	210	70.410
229.		सुधार पातन	तोरानिया	II	211	71.660
230.		सुधार पातन	सालिखेडा	II	189	66.430
231.		सुधार पातन	बडेल	II	206	71.580
232.		सुधार पातन	बडेल उत्तर	II	193	95.420

1	2	3	4	5	6	7
233.	काटकूट	सुधार पातन	मेंहदीखेडा	II	208	44.240
234.		सुधार पातन	भेरखेडा	II	192	55.630
235.		सुधार पातन	तरान्या	II	203	48.410
236.		सुधार पातन	निमखेडा पूर्व	II	197	63.590
237.		सुधार पातन	निमखेडा	II	194	44.480
238.		सुधार पातन	बरघावन	II	196	56.970
239.		सुधार पातन	ओखला	II	182	76.960
240.		सुधार पातन	चंदपुरा	II	181	57.050
241.		सुधार पातन	नाचनबोर	II	173	62.880
242.		सुधार पातन	सेंडल	II	147	59.740
243.		सुधार पातन	चैनपुरा उत्तर	II	150	55.340
244.		सुधार पातन	मेंडल	II	152	56.610
245.		सुधार पातन	नयापुरा	II	157	82.240
246.		सुधार पातन	बेरछा	II	156	59.560
247.		सुधार पातन	गवलनपाटी	II	163	67.510
248.		सुधार पातन	गवलनपाटी पश्चिम	II	169	68.990
249.		सुधार पातन	चैनपुरा	II	172	56.020
250.	बड़वाह	सुधार पातन	सापट	II	248	69.700
251.		सुधार पातन	लउण्डी	II	250	86.340
252.		सुधार पातन	सोरठी बारूल	II	242	55.820
253.		सुधार पातन	कोडवार बुजुर्ग	II	241	58.530
254.		सुधार पातन	कुण्डी	II	226	83.420
255.		सुधार पातन	कुण्डी पश्चिम	II	232	85.500
256.		सुधार पातन	पातलीमाल	II	253	72.560
257.		सुधार पातन	रावतपलासिया	II	240	66.150
258.		सुधार पातन	सुलगावं उत्तर	II	233	71.990
259.		सुधार पातन	कडियाकुण्ड पूर्व	II	219	66.320
260.		सुधार पातन	कडियाकुण्ड	II	220	43.030
261.		सुधार पातन	रामकुल्ला	II	260	63.360
262.		सुधार पातन	बागफल	II	273	82.360
263.		सुधार पातन	सैलानी	II	285	66.410

1	2	3	4	5	6	7
264.	बड़वाह	सुधार पातन	कोठावां	II	283	57.290
265.		सुधार पातन	सुलगांव दक्षिण	II	234	53.820
266.		सुधार पातन	कडियाकुण्ड	II	235	62.290
267.		सुधार पातन	मिर्धावन	II	275	63.610
268.		सुधार पातन	सुरतीपुरा	II	276	45.930
269.		सुधार पातन	मोहिदा	II	272	57.870
270.		सुधार पातन	सुलगांव	II	257	66.750
271.		सुधार पातन	करोदिया पूर्व	II	284	55.200
272.		सुधार पातन	करोदिया	II	270	89.240
273.		सुधार पातन	सालखेडा	II	259	80.180
274.	पाडल्या	सुधार पातन	नाचनबोर	II	76	50.650
275.		सुधार पातन	प्रेमपुरा	II	75	63.730
276.		सुधार पातन	रोश्याबारी	II	63	60.030
277.		सुधार पातन	जामखुर्द	II	57	62.580
278.	काकड़दा	पुर्नस्थापना	बाकानेर	II	15	35.260
279.			भुवनतलाई	II	21	34.95
280.			कालिबेल	II	20	47.71
281.			कुसुम्या	II	10	43.78
282.			काकड़दा	II	8	54.9
283.			जामनझिरी	II	17	25.75
284.			भेडल्या छोटा	II	11	60.25
285.			रागडघाटी	II	6	56.31
286.			हेलाबाबर	II	26	38.64
287.			बडवेल	II	27	60.62
288.			टेकवा	II	28	45.42
289.			सेल	II	3	66.44
290.			टेमरिया	II	4	49.18
291.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	बेकल्या	II	50	36.48
292.			गोंडकुआं	II	49	48.84
293.			गुजरमोहना	II	47	57.3

1	2	3	4	5	6	7
294.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	टेकवा	II	40	48.38
295.			सालीपुरा	II	41	51.94
296.			सिरस्या	II	45	44.03
297.			कापरखेडा	II	43	49.17
298.	बलवाडा	पुर्नस्थापना	डोंगरगांव	II	84	30.99
299.			बडकीचौकी दक्षिण	II	85	43.48
300.			देवगढ	II	90	37.08
301.			उधरन्या	II	95	52.42
302.			जुलवानिया	II	96	39.38
303.			धनकुआ	II	97	39.04
304.			राजपुरा	II	101	25.04
305.			बलवाडा	II	110	43.01
306.			बरझर	II	113	42.25
307.			जगतपुरा	II	282	43.35
308.	सनावद	पुर्नस्थापना	बालाबड	II	315	60.51
309.			गुमठी	II	301	51.69
310.	पाडल्या		झिरन्या	II	60	60.64
311.			माधवपुरा	II	69	51.97
312.			बलसगांव	II	70	47.43
313.			बागदरा	II	59	47.14
314.	काटकूट		नयापुरा दक्षिण	II	159	60.1
315.			चैनपुरा दक्षिण	II	151	43.39
316.			आक्या	II	142	52.73
317.			ओखला	II	178	39.69
318.			निमखेडा	II	198	43.93
319.			सालखेडा	II	187	37.71
320.			पलसूद	II	185	47.31
321.			बरखेडा	II	186	48.57
322.	मण्डलेश्वर	वृक्षारोपण	बढा	II	P-340	63.91
323.			खरिया	II	36	46.28
324.	पाडल्या		पाडल्या	II	64	76.49

1	2	3	4	5	6	7
325.	सनावद	वृक्षरोपण	जिरभार	II	P-322	39.04
326.					P-330	38.08
327.			बिंजलवदडा	II	303	37.5
328.			बिजासनी	II	305	60.74
329.			मोखनगांव	II	293	50.77
330.			हीरापुर	II	292	45.76
331.			खानपुरा	II	320	43.77
332.			बालिया	II	P-328	47.2
333.			डेलगांव	II	288	47.32
334.			नलवट	II	289	76.03
335.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	खुडगांव	II	287	47.38
336.			बागदाखुर्द	II	299	58.64
337.			अम्बा	II	298A	34.7
338.	सनावद	मृदा एवं जल संरक्षण	पिपरीखेडा	II	306	30.63
339.		मृदा एवं जल संरक्षण	उमरिया	II	309	44.84
340.			जुवानिया	II	297	42.8
214.	काकडा	सुधार पातन	हिंडोलागवाडी	III	32	65.860
215.	मण्डलेश्वर	सुधार पातन	नवरंगपुरा	III	52	124.660
216.	बलवाड़ा	सुधार पातन	बडकीचौकी	III	79	63.920
217.		सुधार पातन	बामनपुरी	III	99	57.820
218.		सुधार पातन	धनकुआं	III	105	88.100
219.		सुधार पातन	ग्वालु	III	124	49.320
220.		सुधार पातन	सबलपुरा	III	112	59.100
221.		सुधार पातन	चिचला	III	117	54.230
222.		सुधार पातन	सेंधवा	III	131	78.700
223.		सुधार पातन	करोदिया	III	134	64.070
224.		सुधार पातन	सुरतिपुरा	III	126	53.830
225.		सुधार पातन	कालापाठा	III	135	86.740
226.	काटकूट	सुधार पातन	बखतगड	III	218	75.480
227.	काटकूट	सुधार पातन	कुण्डया	III	214	61.280
228.	काटकूट	सुधार पातन	मेंहदीखेडा	III	210	56.560
229.		सुधार पातन	तोरानिया	III	211	42.320

1	2	3	4	5	6	7
230.	काटकूट	सुधार पातन	सालिखेडा	III	189	68.780
231.		सुधार पातन	बडेल	III	206	53.930
232.		सुधार पातन	बडेल उत्तर	III	193	62.510
233.		सुधार पातन	मेंहदीखेडा	III	208	38.720
234.		सुधार पातन	भेरुखेडा	III	192	47.740
235.		सुधार पातन	तरान्या	III	203	61.850
236.		सुधार पातन	निमखेडा पूर्व	III	197	56.250
237.		सुधार पातन	निमखेडा	III	194	44.000
238.		सुधार पातन	बरघावन	III	196	59.850
239.		सुधार पातन	ओखला	III	182	63.320
240.		सुधार पातन	चंदुपुरा	III	181	62.140
241.		सुधार पातन	नाचनबोर	III	173	49.450
242.		सुधार पातन	सेंडल	III	147	60.110
243.		सुधार पातन	चैनपुरा उत्तर	III	150	56.520
244.		सुधार पातन	मेंडल	III	152	76.460
245.		सुधार पातन	नयापुरा	III	157	88.490
246.		सुधार पातन	बेरछा	III	156	57.380
247.		सुधार पातन	गवलनपाटी	III	163	68.610
248.		सुधार पातन	गवलनपाटी पश्चिम	III	169	52.760
249.		सुधार पातन	चैनपुरा	III	172	62.430
250.	बड़वाह	सुधार पातन	सापट	III	248	62.040
251.		सुधार पातन	लउण्डी	III	250	65.100
252.		सुधार पातन	सोरठी बारूल	III	242	61.730
253.		सुधार पातन	कोडवार बुजुर्ग	III	241	55.660
254.		सुधार पातन	कुण्डी	III	226	58.590
255.		सुधार पातन	कुण्डी पश्चिम	III	232	68.960
256.		सुधार पातन	पातलीमाल	III	253	63.570
257.		सुधार पातन	रावतपलासिया	III	240	50.620
258.		सुधार पातन	सुलगांव उत्तर	III	233	49.680
259.		सुधार पातन	कडियाकुण्ड पूर्व	III	219	67.940
260.		सुधार पातन	कडियाकुण्ड	III	220	60.250

1	2	3	4	5	6
261.	बड़वाह	सुधार पातन	रामकुल्ला	III	260
262.		सुधार पातन	बागफल	III	273
263.		सुधार पातन	सैलानी	III	285
264.		सुधार पातन	कोठावां	III	283
265.		सुधार पातन	सुलगांव दक्षिण	III	234
266.		सुधार पातन	कडियाकुण्ड	III	235
267.		सुधार पातन	मिर्धावन	III	275
268.		सुधार पातन	सुरतीपुरा	III	276
269.		सुधार पातन	मोहिदा	III	272
270.		सुधार पातन	सुलगांव	III	257
271.		सुधार पातन	करोदिया पूर्व	III	284
272.		सुधार पातन	करोदिया	III	270
273.		सुधार पातन	सालखेडा	III	259
274.	पाडल्या	सुधार पातन	नाचनबोर	III	76
275.		सुधार पातन	प्रेमपुरा	III	75
276.		सुधार पातन	रोश्याबारी	III	63
277.		सुधार पातन	जामखुर्द	III	57
278.	काकडदा	पुर्नस्थापना	बाकानेर	III	15
279.		पुर्नस्थापना	भुवनतलाई	III	21
280.		पुर्नस्थापना	कालिबेल	III	20
281.		पुर्नस्थापना	कुसुम्या	III	10
282.		पुर्नस्थापना	काकडदा	III	8
283.		पुर्नस्थापना	जामनश्चिरी	III	17
284.	काकडदा	पुर्नस्थापना	भेडल्या छोटा	III	7
285.		पुर्नस्थापना	रागडघाटी	III	6
286.		पुर्नस्थापना	हेलाबाबर	III	26
287.		पुर्नस्थापना	बडवेल	III	27
288.		पुर्नस्थापना	टेकवा	III	28
289.		पुर्नस्थापना	सेल	III	3
290.		पुर्नस्थापना	टेमरिया	III	4
291.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	बेकल्या	III	50
292.		पुर्नस्थापना	गोंडकुआं	III	48
293.		पुर्नस्थापना	गुजरमोहना	III	47
294.		पुर्नस्थापना	टेकवा	III	42
295.		पुर्नस्थापना	सालीपुरा	III	41

1	2	3	4	5	6
296.	मण्डलेश्वर	पुर्नस्थापना	सिरस्या	III	45 52.26
297.		पुर्नस्थापना	कापरखेडा	III	43 47.4
298.	बलवाडा	पुर्नस्थापना	डोंगरगांव	III	84 44.07
299.		पुर्नस्थापना	बडकीचौकी दक्षिण	III	85 29.4
300.		पुर्नस्थापना	देवगढ	III	90 35.5
301.		पुर्नस्थापना	उधरन्या	III	95 54.19
302.		पुर्नस्थापना	जुलवानिया	III	96 48.17
303.		पुर्नस्थापना	धनकुआ	III	97 46.63
304.		पुर्नस्थापना	राजपुरा	III	101 37.66
305.		पुर्नस्थापना	बलवाडा	III	110 43.15
306.		पुर्नस्थापना	बरझर	III	113 40.95
307.		पुर्नस्थापना	जगतपुरा	III	267 31.9
308.	सनावद	पुर्नस्थापना	बालाबड	III	315 54.79
309.		पुर्नस्थापना	गुमठी	III	301 50.43
310.	पाडल्या	पुर्नस्थापना	झिरन्या	III	66 45.86
311.		पुर्नस्थापना	माधवपुरा	III	69 43.75
312.		पुर्नस्थापना	बलसगांव	III	70 57.4
313.		पुर्नस्थापना	बागदरा	III	59 47.52
314.	काटकूट	पुर्नस्थापना	नयापुरा दक्षिण	III	159 63.67
315.		पुर्नस्थापना	चैनपुरा दक्षिण	III	151 43.08
316.		पुर्नस्थापना	आक्या	III	142 48.56
317.		पुर्नस्थापना	ओखला	III	178 37.23
318.		पुर्नस्थापना	निमखेडा	III	198 45.39
319.		पुर्नस्थापना	सालखेडा	III	187 34.77
320.		पुर्नस्थापना	पलसूद	III	185 42.6
321.		पुर्नस्थापना	बरखेडा	III	186 42.61
322.	मण्डलेश्वर	वृक्षारोपण	बढा	III	35 41.72
323.	मण्डलेश्वर	वृक्षारोपण	खरिया	III	36 63.07
324.	पाडल्या	वृक्षारोपण	पाडल्या	III	65 62.2
325.		वृक्षारोपण	जिरभार	III	316 50.34
327.		वृक्षारोपण	बिंजलवदडा	III	303 39.71
328.		वृक्षारोपण	बिजासनी	III	305 57.15
329.		वृक्षारोपण	मोखनगांव	III	293 47.7
330.		वृक्षारोपण	हीरापुर	III	292 49.46
331.		वृक्षारोपण	खानपुरा	III	320 49

1	2	3			4
332.	सनावद	वृक्षारोपण	बालिया	III	P-327 46.24
333.		वृक्षारोपण	डेलगांव	III	288 47.17
334.		वृक्षारोपण	नलवट	III	289 71.49
335.		मृदा एवं जल संरक्षण	खुडगांव	III	287 50.32
336.		मृदा एवं जल संरक्षण	बागदाखुर्द	III	299 56.31
337.		मृदा एवं जल संरक्षण	अम्बा	III	298 A 38.04
338.		मृदा एवं जल संरक्षण	पिपरीखेडा	III	306 41.06
339.		मृदा एवं जल संरक्षण	उमरिया	III	309 47.18
340.		मृदा एवं जल संरक्षण	जुलवानिया	III	297 46.58
योग					32620.753

(ब) दिनांक 1-7-2019 से चराई से प्रतिबंधित वृक्षारोपण क्षेत्र

सामान्य वनमण्डल, बड़वाह

क्रमांक	परिक्षेत्र	वृक्षारोपण क्षेत्रों का विवरण	कक्ष क्रमांक	वर्ष	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5	6
1.	बड़वाह	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	263	2015-16	5.000
2.	बलवाडा	मिश्रित वृक्षारोपण	113	2013-14	40.000
3.	बलवाडा	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	84	2015-16	10.000
4.	बलवाडा	एफडीए योजनांतर्गत	84	2015-16	20.000
5.	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	194	2015-16	10.000
6.	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	177	2015-16	5.000
7.	काटकूट	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	153	2015-16	10.000
8.	काटकूट	एफ. डी. ए. योजनांतर्गत	181	2015-16	50.000
9.	पाडल्या	वन्यप्राणी प्रबंधन हेतु ग्रासलेण्ड विकास योजना	81	2015-16	10.000
10.	काकडदा	वैकल्पिक वृक्षारोपण	खसरा क्र. 108/4	2018	19.000
11.	सनावद	मिश्रित वृक्षारोपण	291	2013-14	50.000
12.	सनावद	मिश्रित वृक्षारोपण	291	2014-15	50.000
13.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद वैकल्पिक वृक्षारोपण	36	2014-15	0.416
14.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद 400 के. व्ही. मालवा टी. पी. एच. विद्युत लाईन के नीचे औषधीय वृक्षारोपण.	41	2014-15	1.100
15.	बड़वाह	केम्पा मद बड़वाह-सिद्धवरकूट वायपास मार्ग के दोनों ओर किनारे पर वृक्षारोपण.	265, 266	2015-16	1.400
16.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना	ख.नं.60/1/1 क	2014-15	5.000
17.	बलवाडा	कक्ष क्रमांक 113 केम्पा मद से वृक्षारोपण	113	2017-18	30.000
18.		कक्ष क्रमांक 108 केम्पा मद से वृक्षारोपण	108	2017-18	70.000

1	2	3	4	5	6
19.	पाडल्या	कक्ष क्रमांक 67 केम्पा मद से वृक्षारोपण	67	2017-18	50.000
20.	बडवाह	कार्य आयोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण	231	2017-18	30.000
21.		कार्य आयोजना अन्तर्गत वृक्षारोपण	253	2017-18	30.000
22.		कूपों में गेप प्लांटिंग	P 331	2017-18	10.000
23.		कूपों में गेप प्लांटिंग	283	2017-18	13.000
24.		कूपों में गेप प्लांटिंग	285	2017-18	25.000
25.	बडवाह	नर्मदा नदी किनारे वृक्षारोपण	281	2017-18	69.180
26.		नर्मदा नदी किनारे वृक्षारोपण	275	2017-18	80.500
27.		मिश्रित वृक्षारोपण	263	2017-18	50.000
28.	सनावद	मिश्रित वृक्षारोपण	291	2013-14	50.000
29.		मिश्रित वृक्षारोपण	291	2013-14	50.000
30.		कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	287	2017-18	50.000
31.		कूपों में गेप प्लांटिंग	291	2017-18	50.000
32.	काटकूट	कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	182	2017-18	50.000
33.		कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	194	2017-18	35.000
34.		कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	178	2017-18	30.000
35.		मिश्रित वृक्षारोपण	201	2017-18	50.000
36.		कूपों में गेप प्लांटिंग	185	2017-18	5.000
37.	बलवाडा	कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	125	2017-18	40.000
38.		कूपों में गेप प्लांटिंग	114	2017-18	12.000
39.	मण्डलेश्वर	कार्य आयोजना अंतर्गत वृक्षारोपण	36	2017-18	50.000
40.		समिति के माध्यम से वृक्षारोपण	41	2017-18	2.000
41.		समिति के माध्यम से वृक्षारोपण	35	2017-18	2.000
42.	मण्डलेश्वर	केम्पा मद वैकल्पिक वृक्षारोपण	लाडवी/खसरा क्र. 60/1/1	2018	6.000
43.		केम्पा मद वैकल्पिक वृक्षारोपण	कक्ष क्र. 36	2018	2.652
44.	बलवाडा	Construction if 765 kV Double Circuit	88	2019	40.000
45.	सनावद	Hexa Khandwa-Indore Transmission Line	290	2019	41.000
46.		400 KV/DC Khandwa-Indore	288	2019	59.500
47.	बडवाह	Trasmission Line	273	2019	26.500
48.	बलवाडा	400 KV D/C Twin LILO Khandwa-Rajgarh at Khargone TPP Transmission Line	118	2019	8.000
49.	बलवाडा		134	2019	24.000
50.		765 KVDC Hexa Khandwa-Dhule Transmission Line	130	2019	55.000
51.			120	2019	30.000
52.	काटकूट	मोहनी सागर बांध परियोजना	184 भाग-1	2019	30.000
53.	काटकूट	मोहनी सागर बांध परियोजना	184 भाग-2	2019	30.000

1	2	3	4	5	6
54.	बलवाडा	ऊर्जावन की स्थापना	132	2019	30.000
55.	बलवाडा	ऊर्जावन की स्थापना	95	2019	25.000
56.	काटकूट	ऊर्जावन की स्थापना	184	2019	20.000
57.	पाडल्या	ऊर्जावन की स्थापना	71	2019	15.000
58.	बडवाह	ऊर्जावन की स्थापना	263	2019	10.000
59.	सनावद	ऊर्जावन की स्थापना	294	2019	30.000
60.	बडवाह	ऊर्जावन की स्थापना	252	2019	10.000
61.	बलवाडा	जलाऊ वृक्षारोपण	94	2019	25.000
62.	बडवाह	जलाऊ वृक्षारोपण	263	2019	10.000
63.	बडवाह	जलाऊ वृक्षारोपण	252	2019	10.000
64.	सनावद	जलाऊ वृक्षारोपण	294	2019	25.000
65.	काटकूट	जलाऊ वृक्षारोपण	179	2019	6.000
66.	काटकूट	जलाऊ वृक्षारोपण	194	2019	20.000
67.	बलवाडा	अरबन वृक्षारोपण	110	2019	50.000
68.	मण्डलेश्वर	कार्य आयोजना अंतर्गत सागौन वृक्षारोपण	पी-340	2019	63.910
69.	मण्डलेश्वर	कार्य आयोजना अंतर्गत सागौन वृक्षारोपण	36	2019	46.280
70.	सनावद	कार्य आयोजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	303	2019	37.500
71.	सनावद	कार्य आयोजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	पी-322	2019	39.040
72.	सनावद	कार्य आयोजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	289	2019	76.030
73.	सनावद	कार्य आयोजना अंतर्गत मिश्रित वृक्षारोपण	293	2019	50.770
योग					2143.318

(स) प्रतिबंधित 01-07-2019 से चराई से प्रतिबंधित घांस बीड (सामान्य वनमण्डल बडवाह)

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	घांस बीड का नाम	क्षेत्रफल हेक्टर
1	2	3	4
1.	मण्डलेश्वर	1. खुशालसिंग वाली	22.662
2.		2. तोपखान वाली	36.826
3.		3. गोस्यावाली	8.095
4.		4. लग्गीवाली	7.294
5.		5. बहेडावाली	8.712
6.		6. कामद वाली	3.237
7.		7. हिरया वाली	8.903
8.		8. काजी वाली	5.899
9.		9. भगवानसिंग वाली	11.735
10.		10. नवाब वाली	32.374
11.		11. म. वाली	7.284

1	2	3	4
12.	मण्डलेश्वर	12. सांगया वाली	12.759
13.		13. भट्याण वाली	3.643
14.		14. खालबेडी वाली	15.378
15.		15. भूरा पाण्डु वाली	3.643
16.		16. गवालबेडी वाली	15.378
17.		17. भूरा पाण्डु वाली	16.996
18.		18. कुण्डाल वाली	6.070
19.		19. रुखया वाली	2.428
20.		20. अजू वाली	4.047
21.		21. कग्गा वाली	9.712
22.		22. रमजू वाली	0.809
23.	पाडल्या	23. बसनगांव वाली	4.047
24.	बडवाह	24. भादलीपुरा	205.000
25.		25. करोंदिया	441.107
26.	काटकूट	26. लेण्डारी	432.672
27.		27. ओखला	100.000
28.		28. मंगलसिंग वाली	33.183
29.	बलवाडा	29. चिचला	10.000
30.		30. बिराली (भाग-1, भाग-2)	270.474
31.	सनावद	31. बिजासन (भाग-1, भाग-2)	514.760

2255.127

(द) वन ग्रामों में बाहर के पशुओं की चराई के लिये दिनांक 01-07-2019 से प्रतिबंधित क्षेत्र (सा. बनमण्डल बडवाह)

अ.क्र.	परिक्षेत्र का नाम	वन ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1.	बड़वाह	कुण्डी	299	163.540
2.	बड़वाह	कोठावां	265	291.000
3.	बड़वाह	मोयदा (वीरान)	263	213.480
4.	बलवाडा	नयापुरा	121	122.990
5.	बलवाडा	बामनपुरी	123	20.760
6.	बलवाडा	मधुपुरा (वीरान)	246	113.760
7.	बलवाडा	कालापाठा	133	108.930
8.	काटकूट	चेनपुरा	148	116.960
9.	काटकूट	गवलनपाटी	164	30.730
योग ..				1182.150

संजीव झा,
बनमण्डलाधिकारी।

कार्यालय परिसमापक भास्कर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

भास्कर साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./694, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/2088, ग्वालियर, दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझ मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो (2) माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 18 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(489)

कार्यालय परिसमापक आशी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत]

आशी क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./जी.डब्ल्यू.आर./603, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 है, को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/1910, ग्वालियर, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझ मुकेश सिंघल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो (2) माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यह सूचना आज दिनांक 18 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

एम. के. सिंघल,
परिसमापक।

(490)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/487, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों की प्रति अपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संघर्ष खरगोन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है। आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है। संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शकरगाँव, तह. भीकनगाँव, पंजीयन क्रमांक 1999, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री मनोज शेल्के, सहकारी निरीक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(495)

खरगोन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/486, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों की प्रति अपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संघ खरगोन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है। आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है। संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेपा, तह. कसरावद, पंजीयन क्रमांक 1944, दिनांक 14 मार्च, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री राधेश्याम चोहान, उप अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(496)

खरगोन, दिनांक 17 जुलाई, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2019/485, दिनांक 25 फरवरी, 2019 को संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल होने से, संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है, संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों की प्रति अपेक्षावान है, संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रूचि नहीं ले रहा है, संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है, संस्था द्वारा साधारण सभा/संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं, संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है, तथा संस्था को इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ इन्दौर दुग्ध संघ खरगोन के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा संस्था को परिसमापन में डालने हेतु पत्र प्रेषित किया है। आदि कारणों से संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था। जारी किये गये सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था व संस्था अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, यह माना जाकर की संस्था को समस्त आरोप स्वीकार है। संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगाँव, तह. कसरावद, पंजीयन क्रमांक 1659, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री हुकुम यादव, उप अंकेक्षक, खरगोन को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 17 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(497)

मुकेश जैन,
उप-पंजीयक।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 अगस्त 2019-श्रावण 18, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 मार्च, 2019

1. मौसम एवं वर्षा.—प्रायः राज्य में आकाश मेघाच्छादित रहा है। राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(अ) 0.01 मि. मी. से 17.04 मि. मी. तक:- तहसील अम्बाह, पोरसा, मुरैना, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ (मुरैना), श्योपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, गोहद, मेहगांव, लहार, रौन, मिहोना (भिण्ड), राजनगर, बिजावर (छतरपुर), दमोह, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, मझगांव, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर (सतना), मऊगंज, हुजुर, गुड़, रामपुर कुर्च (रीवा), सोहागपुर (शहडोल), अनूपपुर (उमरिया), गोपदवनास, सिंहाबल, मझोली, कुसमी (सीधी), चितरंगी (सिंगरौली), नसरुल्लागंज (भोपाल), बुधनी (सीहोर), जबलपुर (जबलपुर), मण्डला, नैनपुर, बिछिया, निवास (मण्डला), डिण्डोरी (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, तामिया, परासिया, सौंसर, अमरवाड़ा, मोहखेड़ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.05 मि. मी. से 34.09 मि. मी. तक:- तहसील हनुमना (रीवा), जुन्नारदेव, बिछुआ, उमरेठ, चांद (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.00 मि. मी. से 53.01 मि. मी. तक:- तहसील चौरई (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :- ..

3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- ..

4. धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :- ..

5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :- ..

6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :- ..
7. अन्य असामयक घटना से छति :- ओला पानी गिरने से जिला छिन्दवाड़ा के 13 ग्राम, बिछुआ के 12 ग्राम, तहसील मोहखेड़ के 20 ग्राम, तहसील चांद के 16 ग्राम, तहसील तामियां 01 ग्राम, तहसील जुनारदेव 06 ग्राम, तहसील उमरेठ के 24 ग्रामों में रबी फसल में 25 से 33 प्रतिशत छति होने का अनुमान है तथां विस्तृत सर्वे कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया है।
8. फसल स्थिति :- राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सामान्य रहना प्रतिवेदित किया गया है।
9. सिंचाई:- जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, शाजापुर, इन्दौर, बड़वानी, खण्डवा, विदिशा, भोपाल, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।
12. बीजः- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 मार्च, 2019

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सरसों, चना अधिक गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, सोंहा, मैंथी समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सरसों, गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) गन्ना, गेहूँ अधिक. सरसों, जौ समान. चना, मटर, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बद्रवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्री	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरड़	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, धनियां, बीज समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. गुना	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों अधिक. तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..				
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	3.0				
6. बिजावर	1.0				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	..	3. . . 4. (1) गेहूँ अलसी, मटर, आलू अधिक. तुअर, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर, बटरी कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवर्ह 5. शाहनगर 6. देवेन्द्रनगर 7. अमानगंज 8. सिमरिया 9. रैपुरा				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2.	..	3. . . 4. (1) गेहूँ जौ, चना, मसूर, मटर, तिबड़ा, राई-सरसों, अलसी गना कम. आलू-प्याज अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2.	..	3. . . 4. (1) मसूर, बटरी अधिक. तुअर, चना, गेहूँ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा 1.0 8.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2.	..	3. . . 4. (1) तुअर, मटर, अलसी समान. गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.
1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. कोठर 10. बिरसिंहपुर	0.3 7.0 3.0 2.0 9.0 3.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. . . 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. त्यौंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हुजूर 6. गुढ़ 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जवा 10. नर्सगढ़ी 11. रायपुरकर्चुलियान 7.0 22.2 7.4 2.0 2.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, राई, चना, गेहूँ, मसूर, मटर, अलसी अधिक. (2) तुअर बिगड़ी हुई हैं। शेष फसलें सुधरी हुई हैं।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. व्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. बुढ़ार 5. गोहपारू 6. जैतपुर	1.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ चना, मटर अधिक. अलसी, मटर समान. (2) तुअर, मसूर बिगड़ी हुई। अलसी समान हैं। गेहूँ चना सुधरी हुई हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	.. 1.2				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, तुअर मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त,
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. चंदिया 4. नौरोजाबाद 5. मानपुर				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावत 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. बहरी 7. रामपुरसैकिन	2.6 3.0 3.0 4.2				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
20. जिला सिंगराली :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, चना, जौ अधिक. गेहूँ राई-सरसों, अलसी समान. (2) तुअर बिगड़ी हुई है। राई, अलसी समान है। गेहूँ चना, जौ सुधरी हुई है।	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सरई 4. माडा 5. सिंगराली	9.2				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना अधिक. राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सुवासरा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. दालोद 7. श्यामगढ़ 8. सीतामऊ 9. धुंधड़क्का 10. संजीत 11. कयामपुर				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) गेहूँ सरसों, अलसी अधिक. चना, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना कम. शवा कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावरा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रत्लाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, मसूर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त
1. बड़ौदा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) चना, मसूर अधिक. गेहूँ, प्याज, लहसुन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. गेहूँ उड़द (रबी), मूँग(रबी), चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. टोकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिल्ल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ : 1. थंदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्डद(रबी), मसूर, मटर, राई-सरसों अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सौंडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. गन्ना, गेहूँ, अलसी, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. गोतमपुरा 5. हातोद 6. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना, अलसी, तुअर कम. (2) गेहूँ सुधरी. शेष फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावा 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ अधिक. चना, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गन्ना, गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बुहानपुर	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. राजगढ़	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. व्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लटेरी	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. शमसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठरी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तिवड़ा कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..				
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना, मसूर, राई-सरसों अधिक. तुअर समान. गेहूँ, अलसी, मटर, जौ कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सीहोर	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरूल्लागंज	3.5				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	8.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ चना, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी अधिक. गन्ना कम. (2) तुअर बिंडी हुई शेष फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. रायसेन	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. (1) गेहूँ चना समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बैतूल	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. भैसदेही	..				
3. घोड़ाडोंगरी	..				
4. शाहपुर	..				
5. चिंचोली	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, मसूर, गन्ना अधिक. चना, राई-सरसों, मटर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. हरदा	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..				
3. सिराली	..				
4. रेहटांव	..				
5. हंडिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) चना, मटर, मसूर, राई-सरसों कम. गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जबलपुर	0.7				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	..				
3. सीहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनागर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) तुअर, चना, राई-सरसों. गेहूँ (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ी	..				
3. रीठी	..				
4. बड़वारा	..				
5. मुड़वारा (कटनी)	..				
6. विजयराघवगढ़	..				
7. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर : 1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा	मिलीमीटर	2 ..	3. 4. (1) तुअर, गन्ना, चना, मसूर, अधिक. मटर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
47. जिला मण्डला : 1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	मिलीमीटर 2.3 8.1 0.6 1.0	2 ..	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
48. जिला डिण्डोरी : 1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	मिलीमीटर 1.3	2 ..	3. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, लाख समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
49. जिला छिन्दवाड़ा : 1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जुनारदेव 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांडुर्णा	मिलीमीटर 11.0 7.2 11.3 18.2 0.2 22.2 7.2 45.0 22.4 13.2 .. 23.2 ..	2. ओला वृष्टि से तहसील छिन्दवाड़ा के 13 ग्राम, तह. बिछुआ के 12 ग्राम तह. मोहखेड के 20 ग्राम तह. चांद के 16, तहसील तामिया का 1 ग्राम जुनारदेव के 6 ग्राम एवं तह. उमरेठ के 24 ग्रामों में रबी फसल में 25 से 33 एवं 33% अधिक क्षति हुई है. सर्वे कार्य चालू हैं.	3. 4. (1) (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
50. जिला सिवनी : 1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. केवलारी 5. लखनादेन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसार	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी, तिवडा, तुअर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
51. जिला बालाघाट : 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिस्सा 11. खैरलाँजी	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) गेहूँ समान. (2) गेहूँ समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

ओ. पी. बाथम,
प्रभारी सहायक आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(491)